

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./16/16173-178 दिनांक : 23-11-16

01. श्री प्रमोद सिंह शेखावत पुत्र श्री दान सिंह शेखावत, 6/316, मोरवाल भट्टा के पास, किसान कॉलोनी, झुन्डुनू।
02. श्री कार्तिकेय लाटा पुत्र श्री रविन्द्र लाटा, ए-103, करधनी, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
03. श्री बोदू राम गुर्जर पुत्र श्री गणेश राम, 125, छाबडी सदन, करणी विहार, रोड नं0 17, विश्वकर्मा, जयपुर।
04. श्री अनन्त आर्य पुत्र श्री जगदीश प्रसाद आर्य, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राधिका रेजीडेन्सी के सामने, सिरोही।
05. श्रीमति ज्योति नागर पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण नागर, 15, राधा कृष्ण कॉलोनी, जगत पुरा, जयपुर।
06. श्रीमति सरोज कुमारी मीणा पत्नि श्री विजय, 106-ए, श्रीराम नगर बी, कांटा झोटवाडा, जयपुर।
07. श्रीमति चन्द्र कला वर्मा पुत्री श्री लड्डू लाल वर्मा, 02, मधुवन कॉलोनी, खेरडा, सवाईमाधोपुर।

विषय : अधिशाषी अधिकारी-चतुर्थ के पद पर नियुक्ति देने हेतु दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत।
प्रसंग : विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 15523-76 दिनांक 09.11.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आपका चयन राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा चयन आयोग के माध्यम से अधिशाषी अधिकारी-चतुर्थ के पद पर होने के उपरान्त आदेश दिनांक 09.11.16 द्वारा दिनांक 17.11.16 तक विभाग में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था, इसके उपरान्त भी आप द्वारा विभाग में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः आप 7 दिवस (दिनांक 30.11.2016 तक) में निम्नांकित दस्तावेज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे :-

01. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
02. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में)।
03. दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान नहीं होने का शपथ पत्र।
04. क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)।
05. धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता (Undertaking)।
06. दहेज नहीं लेने/देने का शपथ पत्र।

अ—
(एम0 पी0 मीना)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./16/16179-183 दिनांक : 23-11-16
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्डुनू/जयपुर/सिरोही/सवाईमाधोपुर को भेजकर लेख है कि इन अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का श्रम करावें।
02. सुरक्षित पत्रावली।

अ—
(एम0 पी0 मीना)
अतिरिक्त निदेशक